तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रहलाद चन्द गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2025/1811**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक 664 दिनांक 11.12.2025 से प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पेन डाउन से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 630 दिनांक 11.11.2025 द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था लेकिन आवेदन द्वारा आदिनांक तक न शुल्क जमा करवाया गया है, ना ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया गया है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावें हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु कार्यालय के पत्रांक 630 दिनांक 11.11.2025 द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था लेकिन आवेदक द्वारा न तो शुल्क जमा करवाया गया है, ना ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा करवाने पर उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) (अपीलेट अधिकारी) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	